

## डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 06/2024-24 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर (एटीक्यू) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2024 से 31.03.2029) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 19 दिसम्बर, 2024

तृतीय तल, उड़ान भवन,  
सफदरजंग हवाईअड्डा  
नई दिल्ली – 110003

## हितधारकों की टिप्पणियां

श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व में और उसके द्वारा प्रचालित है। यह राजा सांसी गांव के निकट अमृतसर – अजनाला रोड़ पर स्थित है।

अमृतसर हवाईअड्डे को एएआई द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी माध्यम से निजी हवाईअड्डा प्रचालक को पट्टे पर देने के लिए चुना गया था। इसे ध्यान में रखते हुए, नागर विमानन मंत्रालय (मोका) की दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या एवी- 24011/141/ 2015-एडी (खंड V) के माध्यम से अमृतसर हवाईअड्डे को 'प्रमुख हवाईअड्डे' के रूप में अधिसूचित किया गया था।

वित्त वर्ष 2023-24 के वास्तविक यातायात के अनुसार, अमृतसर हवाई अड्डे से 3.09 एमपीपीए यात्री आवागमन (थ्रूपुट) हुआ है।

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2020-वित्त वर्ष 2023) के प्रथम चार (04) टैरिफ वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए लेखापरीक्षित कच्चे मिलान के रूप में), वित्त वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों (लेखा परीक्षा न किए गए) और द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2029) के अनुमानों को मान लिया है।

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) के संबंध में प्राधिकरण के विश्लेषण और टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में अपने प्रस्ताव पेश करके जारी किया है।

प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा। प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश के तहत निर्धारित टैरिफ की समीक्षा कर इसमें संशोधन किया जा सकता है।

अतः ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 के परामर्श पत्र संख्या 06/2024-25 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)

तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,

नई दिल्ली-110003, भारत

ई-मेल : [director-ps@aera.gov.in](mailto:director-ps@aera.gov.in), [rajan.gupta1@aera.gov.in](mailto:rajan.gupta1@aera.gov.in), प्रति [secretary@aera.gov.in](mailto:secretary@aera.gov.in)

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| हितधारकों की परामर्श बैठक :                     | 03 जनवरी, 2025 |
| टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :       | 18 जनवरी, 2025 |
| जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख : | 28 जनवरी, 2025 |

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट [www.aera.gov.in](http://www.aera.gov.in) पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या 011-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

## 15 प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

### अध्याय 4 : प्रथम नियंत्रण अवधि का टूअप

- 4.11.1 तालिका 9 के विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।
- 4.11.2 तालिका 10 में उल्लेख किए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए वैमानिक मूल्यहास को मानना।
- 4.11.3 तालिका 11 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए आरएबी को मानना।
- 4.11.4 प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के प्रयोजन के लिए 14%एफआरओआर को मानना।
- 4.11.5 प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के प्रयोजनार्थ तालिका 12 में प्रस्तुत किए अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।
- 4.11.6 प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के प्रयोजनार्थ तालिका 18 के विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।
- 4.11.7 तालिका 21 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए वास्तविक वैमानिक राजस्व को मानना।
- 4.11.8 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 23 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए एआरआर और कम वसूली को मानना तथा इस कमी को द्वितीय नियंत्रण अवधि में पुनः समायोजित करना।

### अध्याय 5: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

- 5.3.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 27 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यात्री यातायात और एटीएम को मानना।
- 5.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री और एटीएम) को टूअप करना।

### अध्याय 6: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यहास और विनियामक परिसंपत्ति आधार

- 6.5.1 तालिका 36 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।
- 6.5.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत कार्यक्षमता और औचित्य के आधार पर पूंजीगत व्यय को टूअप करना।
- 6.5.3 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूँजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूँजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। इसके अतिरिक्त, यदि परियोजना पूर्ण होने में देरी किसी ऐसे कारण से होती है जो एएआई या उसकी संविदाकारी एजेंसी के नियंत्रण से बाहर है और पर्याप्त रूप से न्यायोचित है, तो प्राधिकरण द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक लागत का आकलन करते समय इस पर विचार किया जाएगा।
- 6.5.4 तालिका 38 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यहास को मानना।
- 6.5.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के मूल्यहास को टूअप करना।
- 6.5.6 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 40 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।
- 6.5.7 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टूअप करना।

## **अध्याय 7 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर**

7.3.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 41 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 11.90% के एफआरओआर को मानना।

## **अध्याय 8 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति**

8.3.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 42 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

## **अध्याय 9: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च**

9.3.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 48 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

9.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के दौरान एएआई द्वारा अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

## **अध्याय 10: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व**

10.3.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 52 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

10.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय एएआई द्वारा अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्राप्त किए गए वास्तविक गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

## **अध्याय 11 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान**

11.3.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 55 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

11.3.2 तालिका 55 में अपनाई गई कार्यप्रणाली के अनुसार टू-अप संबंधी विवरण को ध्यान में रखकर वैमानिक कर की राशि को उपयुक्त ढंग से टू-अप करना।

## **अध्याय 12: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता**

12.3.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी समायोजन न मानना।

## **अध्याय 13 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)**

13.3.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 58 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और मुनाफे को मानना।

## **अध्याय 14 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व**

14.3.1 अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 62 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

14.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

## 16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

- 16.2.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15-प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।
- 16.2.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।
- 16.2.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 18 जनवरी, 2025 तक भेज दिया जाए।

सचिव,  
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,  
नई दिल्ली –110003.  
दूरभाष : 011-24695044-47 फैक्स : 011-24695048

(अध्यक्ष)



